भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †4081
दिनांक 12.08.2026 को उत्तर देने के लिए

खान दुर्घटनाएं और जनहानि

†4081. प्रो. सौगत रायः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देशभर में खानों और कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं और जनहानि का खान-वार, राज्य-वार और खनिज-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) छत गिरने, विस्फोट, जलप्लावन, आग, ढलान धंसने, मशीनरी से जुड़ी दुर्घटनाओं, परिवहन हादसों और सुरक्षा से संबंधित अन्य घटनाओं सहित ऐसी दुर्घटनाओं के कारणों का ब्यौरा क्या है और इसके लिए जिम्मेदार पाए गए खान ऑपरेटरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या सरकार ने खान सुरक्षा मानकों के कार्यान्वयन तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) और अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों की प्रभावशीलता की कोई समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं; और
(घ) सरकार द्वारा ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने और खान श्रमिकों के जीवन की रक्षा के लिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, गैस डिटेक्शन सिस्टम, रिमोट-ऑपरेटेड उपकरण और सुदृढ़ प्रवर्तन तंत्र जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से खान सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दुबे)

(क): पिछले तीन वर्षों के दौरान देश भर में कोयला खानों सहित खानों में हुई दुर्घटनाओं और जनहानि का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ख): इस तरह की दुर्घटनाओं के विभिन्न कारण होते हैं; ऊंचाई से गिरना; उड़ने वाले टुकड़े और विस्फोटक दुर्घटनाएं; भूस्खलन; रस्सियों, जंजीरों और सस्पेंशन गियर का टूटना; डंपर और ड्रिलिंग मशीन संबंधी दुर्घटनाएं; और बिजली के केबलों के कारण होने वाली दुर्घटनाएं आदि। खान-प्रचालक पर कार्रवाई उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (ओएसएच एंड डब्ल्यूसी) संहिता, 2020 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार की जाती है।

(ग) और (घ): खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) को खान श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ओएसएच एंड डब्ल्यूसी कोड, 2020 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु खानों के निरीक्षण का कार्य सौंपा गया है। तद्नुसार, डीजीएमएस ने खानों में होने वाली मौतों को कम करने और उनमें कार्य करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए नियमित जांच, खानों का नियमित निरीक्षण, मानक प्रोटोकॉल का विकास, खानों में सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन, सुरक्षा सप्ताह, अभियान, जागरूकता का आयोजन आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, ओएसएच एंड डब्ल्यूसी कोड, 2020 खान श्रमिकों सहित श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और हित की सुरक्षा के लिए कार्य स्थितियों और कार्यस्थल के वातावरण को विनियमित करता है। खान सुरक्षा को सुदृढ़ करने, दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने और खान श्रमिकों के जीवन की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, जैसे:

(i) वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा यथा परिभाषित कार्य की वैज्ञानिक पद्धति, पिट स्लोप, डंप स्लोप, और स्तर नियंत्रण और निगरानी योजना (एससीएएमपी) सहित खान की डिज़ाइन, योजना और प्रचालन।

(ii) मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)/कार्यप्रणाली संहिता (सीओपी) के माध्यम से वर्धित सुरक्षा और उत्पादन के लिए नई पद्धति, नई प्रौद्योगिकी, उपकरण और प्रणालियों की शुरूआत।

(iii) नियंत्रण उपायों के माध्यम से जोखिम को कम करने के लिए, चिह्नित खतरों के आधार पर अलग-अलग खानों के लिए विशिष्ट स्व-नियमन को बढ़ावा देने के लिए जोखिम-आधारित सुरक्षा प्रबंधन योजना को शामिल करना।

(iv) दुर्घटना/आपात स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया और निकासी योजना।

अनुलग्नक-I

कोयला खानों में दुर्घटनाओं का विवरण:

वर्ष	राज्य	जानलेवा दुर्घटना	मौत	गंभीर दुर्घटना	घायल
2023	छत्तीसगढ़	2	2	12	13
2023	गुजरात	0	0	2	2
2023	झारखंड	11	12	16	18
2023	मध्य प्रदेश	2	2	5	5
2023	महाराष्ट्र	3	3	2	2
2023	ओडिशा	6	8	1	4
2023	तमिलनाडु	1	1		0
2023	तेलंगाना	6	6	67	67
2023	उत्तर प्रदेश	2	2	8	12
2023	पश्चिम बंगाल	5	5	4	7
2023 कुल		38	41	117	130
2024	छत्तीसगढ़	6	6	10	10
2024	गुजरात	1	1	1	1
2024	झारखंड	3	3	6	7
2024	मध्य प्रदेश	7	8	6	11
2024	महाराष्ट्र	2	2	4	4
2024	ओडिशा	3	3	2	2
2024	तमिलनाडु	2	2	2	2
2024	तेलंगाना	7	8	86	86
2024	उत्तर प्रदेश	3	4	0	0
2024	पश्चिम बंगाल	4	12	2	3
2024 कुल		38	49	119	126
2025	छत्तीसगढ़	6	7	6	8
2025	गुजरात			1	1
2025	झारखंड	15	22	12	16
2025	मध्य प्रदेश	4	6	9	10
2025	महाराष्ट्र	2	2	7	7
2025	ओडिशा	4	4	3	3
2025	तेलंगाना	3	3	80	82

वर्ष	राज्य	जानलेवा दुर्घटना	मौत	गंभीर दुर्घटना	घायल
2025	उत्तर प्रदेश	2	2	1	1
2025	पश्चिम बंगाल	5	5	0	0
2025 कुल		41	51	119	128

<u>गैर-कोयला खानों में दुर्घटनाओं का विवरण:</u>

वर्ष	राज्य	जानलेवा दुर्घटना	मौत	गंभीर दुर्घटना	घायल
2023	आंध्र प्रदेश	3	4	0	1
2023	असम	0	0	3	3
2023	छत्तीसगढ़	2	2	0	0
2023	गुजरात	0	0	2	2
2023	झारखंड	1	1	3	3
2023	कर्नाटक	3	3	5	6
2023	मध्य प्रदेश	5	5	2	5
2023	महाराष्ट्र	2	4	4	6
2023	ओडिशा	1	1	7	7
2023	राजस्थान	4	6	9	9
2023	तमिलनाडु	2	2	0	0
2023	तेलंगाना	2	2	0	0
2023	उत्तर प्रदेश	3	3	0	1
2023 कुल		28	33	35	43
2024	आंध्र प्रदेश	0	0	4	4
2024	असम	1	1	2	2
2024	छत्तीसगढ़	1	1	3	3
2024	झारखंड	3	4	4	8
2024	कर्नाटक	5	6	4	9
2024	मध्य प्रदेश	4	5	4	6
2024	महाराष्ट्र	2	2	1	3
2024	ओडिशा	4	4	7	8
2024	राजस्थान	7	8	2	15

वर्ष	राज्य	जानलेवा दुर्घटना	मौत	गंभीर दुर्घटना	घायल
2024	तमिलनाडु	2	2	0	1
2024	तेलंगाना	1	1	0	0
2024	उत्तर प्रदेश	3	6	0	0
2024 कुल		33	40	31	59
2025	आंध्र प्रदेश	4	12	3	9
2025	असम	2	2	3	4
2025	छत्तीसगढ़	1	1	4	4
2025	गुजरात	1	1	1	1
2025	झारखंड	2	3	3	3
2025	कर्नाटक	7	7	3	9
2025	केरल	2	3	0	0
2025	मध्य प्रदेश	4	5	4	17
2025	महाराष्ट्र	1	2	2	3
2025	ओडिशा	4	4	2	2
2025	राजस्थान	4	4	3	3
2025	तमिलनाडु	2	2	0	0
2025	त्रिपुरा	1	1	1	1
2025	उत्तर प्रदेश	6	13	1	3
2025	पश्चिम बंगाल	2	3	0	0
2025 कुल		43	63	30	59